FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0079 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 24/03/2026 12:04 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 09/07/2025 **Date To (दिनांक तक):** 16/07/2025
Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:30 बजे **Time To (समय तक):** 14:52 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 24/03/2026 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 24/03/2026 12:04:14 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 420 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARAYALAY TEHASILDAR, PRATAPGARH, JILA PRATAPGARH

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then**
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MUKESH MEENA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAM LAL MEENA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1992 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	CHHOTI BAMBORI, POST KARAMDIKHERA, LUHARIYA, PRATAPGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	CHHOTI BAMBORI, POST KARAMDIKHERA, LUHARIYA, PRATAPGARH, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	UJJWAL JAIN		पिता:NAGEEN JAIN	1. MUKHYA DAKGHAR KE PICHE,GARIB NAWAZ LAJ KE PASS,BANSWARA,RAJASTHAN,INDIA
2	VISHNU DATT SALAVI		पिता:LATE. MADHAVLAL SALAVI	1. RATANPURA POST KAROI,BHILWARA,BHILWARA, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात् इस प्रकार निवेदन है कि दिनांक 09.07.2025 समय 12.30 पी0एम0 पर दर्ज रहे कि परिवादी श्री मुकेश मीणा ने अपने मोबाईल नम्बर से श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तोड़गढ़ को कॉल कर बताया कि "मैने आपके विभाग के मुख्यालय जयपुर के टोल फ्री नम्बर 1064 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर उन्होने आपके नम्बर देकर आपसे वार्ता करने की कहा, जिस पर मैंने आपको कॉल किया। " जिस पर श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से पूछताछ करने पर उसने बताया कि "मैं ग्राम छोटी बम्बोरी जिला प्रतापगढ का रहने वाला हू। हमारे गॉव में बिलानाम भूमि में मेरा मकान बना हुआ है जिसको आबादी में रूपान्तरण करवाने हेतु तहसील प्रतापगढ के बाबु श्री विष्णु जी से मिला तो उन्होने उक्त कार्य करने के लिये तहसीलदार जी श्री उज्जवल जैन को देने हेतु 01 लाख रूपयें की रिश्वत की मांग की है। मैं श्री विष्णु जी व तहसीलदार श्री उज्जवल जैन को रिश्वत नहीं देना चाहता हू बल्कि उनको रिश्वत लेते हुए को पकड़वाना चाहता हू। मेरी उनसे कोई आपसी रंजिश नहीं है व न ही उधार का लेन देन बकाया है।" परिवादी की उक्त सूचना से मामला ट्रेप कार्यवाही का होना पाया जाने से परिवादी को रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाने हेतु एवं उक्त शिकायत से संबंधित प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होने की कहा गया तो परिवादी ने बताया कि मैं अभी नहीं आ सकता हू आप अपने विभाग के किसी कर्मचारी को मेरे मोबाईल नम्बर देकर मेरे पास प्रतापगढ भिजवा देवे, मैं रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवा दूगा। जिस पर श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि. को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री मुकेश मीणा के मोबाईल नम्बर देकर निर्देश दिये कि उक्त परिवादी से सम्पर्क कर सत्यापन हेतु बुलाने पर नियमानुसार कार्यालय का डीवीआर मय् खाली मैमोरी कार्ड लेकर जावे तथा रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करावे व परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर कार्यालय में लेकर उपस्थित होवे। दिनांक 11.07.2025 को समय करीब 12.30 पी0एम0 पर श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 ने श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैने आपके निर्देशानुसार दिनांक 09.07.2025 को परिवादी श्री मुकेश मीणा के मोबाईल नम्बर पर अपने मोबाईल नम्बर से कॉल कर वार्ता की, परिवादी ने बताया कि मै आपसे दिनांक 11.07.2025 को सम्पर्क करूंगा। जिस पर परिवादी ने आज मुझे कॉल कर बताया कि संदिग्ध आरोपी द्वारा मुझे सोमवार को बुलाया है। अतः आप रवाना होने से पहले मुझे एक बार फोन करके प्रतापगढ़ आ जाना। इस पर श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 को पुर्वानुसार श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 14.07.2025 को समय करीब 10.55 ए0एम0 पर श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 ने श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरे द्वारा निर्देशानुसार परिवादी श्री मुकेश मीणा के मोबाईल नम्बर पर अपने मोबाईल नम्बर से वाट्सएप कॉल कर 02 बार वार्ता की गई जिस पर परिवादी ने मुझे बताया कि अभी मेरा संदिग्ध आरोपी से सम्पर्क नही हुआ है। आप दिनांक 16.07.2025 को मेरे पास आ जाना तथा आप रवाना होने से पहले मुझे एक बार फोन अवश्य कर लेना। इस पर श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 को पुर्वानुसार परिवादी के साथ जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने हेतु आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 16.07.2025 को समय 09.35 पी0एम0 पर श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 132 ने श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आज सुबह परिवादी का मेरे मोबाईल पर कॉल आया था तथा उसने मुझे रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने हेतु कॉल कर बुलाया था। जिस पर मैने आपको वाट्सएप कॉल कर हालात निवेदन किये थे। जिस पर आपके निर्देशानुसार रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय से डीवीआर मय् खाली मैमोरी कार्ड लेकर समय करीब 11.05 एएम पर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ़ से रवाना होकर प्रतापगढ़ पहुचा।

जहॉ पर परिवादी श्री मुकेश मीणा उपस्थित मिला। परिवादी को डीवीआर चालु व बन्द करने की समझाईश की गई। परिवादी द्वारा मुझे अपना हस्तलिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे मैने सुरक्षित अपने पास रखा तथा परिवादी को डीवीआर मय् खाली मैमोरी कार्ड के चालु कर सुपुर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराने हेतु तहसील कार्यालय प्रतापगढ़ के लिए रवाना किया तथा मैं भी अपनी उपस्थिति छिपाते हुए तहसील कार्यालय प्रतापगढ़ के आस-पास खडा होकर परिवादी के आने का इन्तजार करने लगा। कुछ समय बाद परिवादी मेरे पास उपस्थित आया जिससे मैने डीवीआर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा तथा परिवादी ने बताया कि मेरी संदिग्ध श्री विष्णुदत्त सालवी से रिश्वत राशि के सम्बन्ध में वार्ता हो गई है। सदिग्ध आरोपी द्वारा मेरे से श्री उज्जवल जैन तहसीलदार प्रतापगढ़ के लिए 1 लाख रूपये की मांग की गई है तथा मौके पर मेरे से श्री विष्णुदत्त सालवी ने 20 हजार रूपये नगद प्राप्त कर लिये है तथा शेष 80 हजार रूपये की रिश्वत राशि देना बाकी है। जिस पर उक्त हालात मैने आपको जरिये दूरभाष अर्ज किये थे तथा परिवादी से आपकी वार्ता करायी थी तथा निर्देशानुसार परिवादी को प्रतापगढ़ ही रूखसत कर अपने साथ परिवादी का प्रार्थना पत्र व रिकॉर्डिंग वार्ता का डीवीआर मय् मैमोरी कार्ड के लेकर प्रतापगढ़ से रवाना हो 6.00 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ़ पहुचा। श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 ने परिवादी का प्रार्थना पत्र एवं डीवीआर प्रस्तुत किया, जिस पर श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तथा डीवीआर को चालु कर सुना गया तो रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन होना पाया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र एवं डीवीआर को श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 को सुपुर्द कर कार्यालय में सुरक्षित रखने हेतु निर्देश दिये एवं हिदायत दी गई कि परिवादी द्वारा संदिग्ध श्री उज्जवल जैन तहसीलदार से रिश्वत राशि मांग सत्यापन बाबत् वार्ता नही की गई है इसलिए आईन्दा परिवादी से सम्पर्क कर कार्यालय का डीवीआर मय् रिकॉर्डिगशुदा मैमोरी कार्ड साथ लेकर प्रतापगढ़ जाकर नियमानुसार संदिग्ध श्री उज्जवल जैन तहसीलदार से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करावें। परिवादी श्री मुकेश मीणा एवं आरोपी श्री विष्णुदत्त सालवी के मध्य दिनांक 16.07.2025 को कार्यालय तहसीलदार प्रतापगढ़ के बाहर रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंश इस प्रकार है कि-

नाम वार्ता हिन्दी रूपान्तरण

आरोपी श्री विष्णुदत्त सालवी देखो मेरी बात सुनो आप येन केन प्रकारेण कुछ भी कर लो ठीक है एक से कम किसी भी सुरत में नहीं होगा देख लो आपके हो रहा है तो भी ठीक है देखो मेरी बात सुनो आप येन केन प्रकारेण कुछ भी कर लो ठीक है एक से कम किसी भी सुरत में नहीं होगा देख लो आपके हो रहा है तो भी ठीक है

अन्य कतरा कतरा

परिवादी श्री मुकेश मीणा हंसने की आवाज हंसने की आवाज

आरोपी अरे यार एक ही बात बार बार और आप अरे यार एक ही बात बार बार और आप

परिवादी एक लाख ...अस्पष्ट आवाज... ये बीस हजार इक्कठे करने के लिये भी 15 दिन हो गये ये बीस हजार इक्कठे करने के लिये भी 15 दिन हो गये

अन्य म्हारी बात सुनो हामे हामें ...अस्पष्ट आवाज ...और आप जणी दन कोगा पया री गारण्टी म्हा तीनहीस हां और तो कई दिक्कत नी ह मेरी बात सुनो अब ..... अस्पष्ट आवाज और आप जिस दिन कहोगे पैसे के जिम्मेदार हम तीनों ही है और तो कोई दिक्कत नहीं है

परिवादी और ये जो बीस हजार रूपये है जो फर्स्ट जो किस्त है उसको निकालने के लिये हमे मेहनत करनी पडी वो तो मानते ही नहीं लोग और ये जो बीस हजार रूपये है जो फर्स्ट जो किस्त है उसको निकालने के लिये हमे मेहनत करनी पडी वो तो मानते ही नहीं लोग

अन्य एक तारीख तक कतरो पेमेंट और लाणो ये अबार तो ये साढा उन्नीस एक तारीख तक कितना पेमेंट और लाना ये अभी तो ये साढे उन्नीस

आरोपी इसमें ये ही हे सर ये एक से कम तो नहीं होगा इसमें ये ही हे सर ये एक से कम तो नहीं होगा

परिवादी नहीं यार थोडा देखो नहीं यार थोडा देखो

आरोपी नहीं होगा यार मुकेश जी नहीं होगा यार मुकेश जी

परिवादी दे जायेंगे फोन करअन दे जायेंगे फोन करके

आरोपी आप पेली फोन आप पहले फोन

उक्त रिकार्डिंग वार्ता में परिवादी ने दिनांक 17.09.2025 को गवाहान की उपस्थिति एक आवाज स्वयं की तथा एक आवाज आरोपी श्री विष्णुदत्त साल्वी की होना बताया तथा अन्य आवाज परिवादी के दो परिचितो की होना बताया गया था। अतः उक्त वार्तालाप से आरोपी श्री विष्णुदत्त साल्वी द्वारा परिवादी से 01 लाख रूपये की रिश्वत राशि की स्पष्ट मांग करना प्रमाणित है।

दिनांक 22.07.2025 को समय करीब 08.00 ए0एम0 पर श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री

जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 132 के साथ श्री सुनिल कुमार कानि0 264 को कार्यालय का डीवीआर मय् रिकॉर्डिगशुदा मैमोरी कार्ड देकर सत्यापन हेतु प्रतापगढ़ के लिए रवाना किया था। समय करीब 03.30 पी0एम0 पर श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 132 व श्री सुनिल कुमार कानि0 264 ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ़ पर उपस्थित हुए है। श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 132 ने कार्यालय का डीवीआर मय् रिकॉर्डिगशुदा मैमोरी कार्ड श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश करते हुए बताया कि प्रतापगढ़ पहुंच। मैने परिवादी को डीवीआर मय् रिकॉर्डिगशुदा मैमोरी कार्ड के चालु कर सुपुर्द कर संदिग्ध श्री उज्जवल जैन तहसीलदार से रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराने हेतु तहसील कार्यालय प्रतापगढ़ के लिए रवाना किया तथा मैं व श्री सुनिल कुमार कानि0 भी अपनी उपस्थिति छिपाते हुए तहसील कार्यालय प्रतापगढ़ के आस-पास खडे होकर परिवादी के आने का इन्तजार करने लगे। कुछ समय बाद परिवादी हमारे पास उपस्थित आया जिससे मैने डीवीआर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा तथा परिवादी ने बताया कि मेरी संदिग्ध श्री उज्जवल जैन तहसीलदार से वार्ता हो गई है। जिस पर उक्त हालात मैने आपको जरिये दूरभाष अर्ज किये थे। निर्देशानुसार परिवादी को प्रतापगढ़ ही रूखसत कर अपने साथ रिकॉर्डिग वार्ता का डीवीआर मय् मैमोरी कार्ड के लेकर श्री सुनिल कुमार कानि0 264 के साथ प्रतापगढ़ से रवाना हो ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये हैं। श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 ने डीवीआर मय् रिकार्डिगशुदा मैमोरी कार्ड के प्रस्तुत किया। जिस पर श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डीवीआर को चालु कर सुना गया। डीवीआर मय् रिकार्डिगशुदा मैमोरी कार्ड के श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 को सुपुर्द कर कार्यालय में सुरक्षित रखने हेतु निर्देश दिये। दिनांक 28.07.2025 को समय करीब 09.30 ए0एम0 पर श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 132 को कार्यालय का डीवीआर मय् रिकॉर्डिगशुदा मैमोरी कार्ड देकर प्रतापगढ़ के लिए रवाना करते हुए हिदायत दी गई कि प्रतापगढ़ पहुच परिवादी से सम्पर्क कर नियमानुसार संदिग्ध श्री उज्जवल जैन तहसीलदार से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करावें। श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 132 के साथ श्री सुनिल कुमार कानि0 264 को भी गोपनीय राजकार्य हेतु प्रतापगढ़ के लिए रवाना किया गया। समय करीब 07.30 पी0एम0 पर श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 132 व श्री सुनिल कुमार कानि0 264 ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ़ पर उपस्थित हुए है। श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 132 ने कार्यालय का डीवीआर मय् रिकॉर्डिगशुदा मैमोरी कार्ड पेश करते हुए बताया कि आपके निर्देशानुसार संदिग्ध श्री उज्जवल जैन तहसीलदार से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय से डीवीआर मय् रिकॉर्डिगशुदा मैमोरी कार्ड लेकर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ़ से रवाना होकर प्रतापगढ़ पहुचे। जहॉ पर परिवादी श्री मुकेश मीणा उपस्थित मिला। मैने परिवादी को डीवीआर मय् रिकॉर्डिगशुदा मैमोरी कार्ड के चालु कर सुपुर्द कर संदिग्ध श्री उज्जवल जैन तहसीलदार से रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराने हेतु तहसील कार्यालय प्रतापगढ़ के लिए रवाना किया तथा मैं व श्री सुनिल कुमार कानि0 भी अपनी उपस्थिति छिपाते हुए तहसील कार्यालय प्रतापगढ़ के आस-पास खडे होकर परिवादी के आने का इन्तजार करने लगे। कुछ समय बाद परिवादी हमारे पास उपस्थित आया जिससे मैने डीवीआर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा तथा परिवादी ने बताया कि मेरी संदिग्ध श्री उज्जवल जैन तहसीलदार से वार्ता हो गई है। जिस पर उक्त हालात मैने आपको जरिये दूरभाष अर्ज किये थे तथा परिवादी से आपकी वार्ता करायी थी तथा निर्देशानुसार परिवादी को प्रतापगढ़ ही रूखसत कर अपने साथ रिकॉर्डिग वार्ता का डीवीआर मय् मैमोरी कार्ड के लेकर श्री सुनिल कुमार कानि0 264 के साथ प्रतापगढ़ से रवाना हो ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये हैं। श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 ने डीवीआर मय् रिकार्डिगशुदा मैमोरी कार्ड के प्रस्तुत किया, जिस पर श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डीवीआर को चालु कर सुना गया। डीवीआर मय् रिकार्डिगशुदा मैमोरी कार्ड के श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 को सुपुर्द कर कार्यालय में सुरक्षित रखने हेतु निर्देश दिये गये। दिनांक 28.07.2025 को परिवादी श्री मुकेश मीणा एवं संदिग्ध श्री उज्जवल जैन, तहसीलदार प्रतापगढ के मध्य उनके कक्ष में हुई रूबरू वार्ता के मुख्य अंश इस प्रकार है कि-

नाम वार्ता

परिवादी श्री मुकेश मीणा आप जो बताओगे मतलब वो, उन्होने मुझे एक लाख रूपये की कहा था

संदिग्ध श्री उज्जवल जैन अच्छा

परिवादी तो बीस हजार मैने,

संदिग्ध अच्छा

परिवादी वो क्या आपको कहा नहीं कहा मुझे पता नहीं है

संदिग्ध मुझे तो फाईल की चर्चा ही नहीं करी

परिवादी आप देख लो आप आपके हिसाब से आप जो बताओगे वो मै कर दुंगा

संदिग्ध एक बार फाईल को देख लुं

दिनांक 17.09.2025 को समय करीब 11.30 ए.एम. पर परिवादी श्री मुकेश मीणा पुत्र श्री रामलाल मीणा ग्राम छोटी बम्बोरी हाजिर कार्यालय आया। समय करीब 11.40 ए.एम. पर श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दो स्वतन्त्र गवाह की तलबी हेतु अधीक्षण अभियन्ता सावर्जनिक निर्माण विभाग, चित्तौडगढ़ को इस कार्यालय का पत्रांक 2455 दिनांक 17.09.2025 जारी कर श्री सन्दीप कुमार कानि0 को गवाह लाने हेतु रवाना किया गया। समय करीब

12.00 पी.एम. पर श्री सन्दीप कुमार कानि0 दो स्वतन्त्र गवाह लेकर कार्यालय में उपस्थित आया है। जिस पर दोनो स्वतन्त्र गवाह को श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनसे अपना परिचय पुछा तो एक ने अपना नाम श्री हेमन्त कुमार लोढा पुत्र श्री मनोज कुमार जाति जैन उम्र 28 वर्ष निवासी पगारियो का मोहल्ला बेगूं जिला चित्तौडगढ हाल सहायक अभियन्ता सर्वे एवं गुण नियंत्रण खण्ड चित्तौडगढ होना बताया एवं दूसरे ने अपना नाम श्री भैरू सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह जाति राजपुत उम्र 38 वर्ष निवासी-कश्मोर (बरदी सिंह जी का खेडा) तहसील एवं जिला चित्तौडगढ हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड चित्तौडगढ होना बताया। दोनो गवाह को ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने की स्वीकृति प्रदान करने पर उनका परिचय परिवादी से आपस में कराया गया तथा श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.07.2025 एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 16.07.2025 के डिवीआर मय् रिकार्डिगशुदा मैमोरी कार्ड के मंगवाया गया। दोनो स्वतन्त्र गवाह को परिवादी का प्रार्थना पत्र पढ़कर सुनाया व दिखाया गया। परिवादी द्वारा भी उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं का हस्तलिखित होना एवं उसमें अंकित तथ्यों के सही होने की ताईद की। परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दोनो गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 16.07.2025 के डिवीआर मय् रिकार्डिगशुदा मैमोरी कार्ड को चालु कर वार्ता को दोनो स्वतन्त्र गवाह को सुनाया गया तो दोनो गवाह ने भी रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन होने की पुष्टि की। समय करीब 12.10 पी. एम. पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष परिवादी श्री मुकेश मीणा व आरोपी श्री विष्णुदत्त सालवी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार प्रतापगढ, के मध्य दिनांक 16.07.2025 को 14.52 पीएम पर कार्यालय तहसीलदार प्रतापगढ के कक्ष के बाहर हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 22.07.2025 को 11.00 एएम व दिनांक 28.07.2025 को 14.09 पीएम पर परिवादी तथा संदिग्ध श्री उज्जवल जैन तहसीलदार प्रतापगढ से तहसीलदार कक्ष में हुई वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था उक्त डिवीआर को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिह हैड कानि. 132 से पृथक से तैयार करवाई जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली की गई। समय करीब 4.30 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष परिवादी श्री मुकेश मीणा के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री विष्णुदत्त सालवी के मोबाईल नम्बर पर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ में ईमरोजा समय करीब 4.00 पी.एम. पर हुई वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था उक्त डिवीआर को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिह हैड कानि 132 से पृथक से तैयार करवाई जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली की गई। समय करीब 5.53 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष, परिवादी श्री मुकेश मीणा व आरोपी श्री विष्णुदत्त सालवी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार प्रतापगढ, के मध्य दिनांक 16.07.2025 को 14.52 पीएम पर कार्यालय तहसीलदार प्रतापगढ के कक्ष के बाहर हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 22.07.2025 को 11.00 एएम पर तथा दिनांक 28.07.2025 को 14.09 पीएम पर परिवादी तथा संदिग्ध श्री उज्जवल जैन तहसीलदार प्रतापगढ से तहसीलदार कक्ष में हुई वार्ता, श्री विष्णुदत्त सालवी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार प्रतापगढ, के मध्य दिनांक 17.09.2025 को 04.00 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर से आरोपी के मोबाईल नम्बर पर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ मे हुई वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था जो उक्त डिवीआर मे लगे मूल मेमोरी कार्ड 32 जीबी केडीएम बरंग काला में सुरक्षित है उक्त वार्ताओं को केडीएम 32 जीबी बरंग सिल्वर 03 पेन ड्राईव में कॉपी किया गया। एक पेन ड्राईव न्यायालय हेतु जिसकी हैश वैल्यु निकालकर पेन ड्राईव को एक कपडे की थेली में सीलचीट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये जिसे मार्क P अंकित किया गया। फर्द जप्ती पेन ड्राईव केडीएम कार्ड श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 से पृथक से तैयार करवाई जाकर फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई तथा एक-एक अनसील्ड पेन ड्राईव आरोपी तथा आई.ओ हेतु तैयार किये जाकर मूल पेन ड्राईव शिल्डचिट शुदा एवं अनसील्ड पेन ड्राईव को सुरक्षित मालखाने में रखवाये गये। समय करीब 06.15 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष, परिवादी श्री मुकेश मीणा व आरोपी श्री विष्णुदत्त सालवी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार प्रतापगढ, के मध्य दिनांक 16.07.2025 को 14.52 पीएम पर कार्यालय तहसीलदार प्रतापगढ के कक्ष के बाहर हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 22.07.2025 को 11.00 एएम पर तथा दिनांक 28.07.2025 को 14.09 पीएम पर परिवादी तथा संदिग्ध श्री उज्जवल जैन तहसीलदार प्रतापगढ से तहसीलदार कक्ष में हुई वार्ता, श्री विष्णुदत्त सालवी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार प्रतापगढ, के मध्य दिनांक 17.09.2025 को 04.00 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर से आरोपी के मोबाईल नम्बर। पर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ मे हुई वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था उक्त मेमोरी कार्ड की हेश वैल्यु निकालकर मेमोरी कार्ड को डिवीआर से निकालकर कर एक सफेद कपडे की थैली में सीलचीट किया जाकर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये जिसे मार्क M अंकित किया जाकर सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। फर्द जप्ती मूल मेमोरी कार्ड श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

के निर्देशन में जितेन्द्र सिंह हैड कानि से पृथक से तैयार करवाई जाकर फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई। समय करीब 06.30 पी.एम. पर परिवादी श्री मुकेश मीणा को श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा हिदायत मुनासिब की गई की जब भी संदिग्ध द्वारा रिश्वत राशि लिये जाने के संबंध में एवं अन्य किसी कार्य से सम्पर्क करे तो तुरन्त श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल वार्ता कर बताने एवं कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने हेतु निर्देशित कर रूखसत किया गया। समय करीब 06.45 पी.एम. पर उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री हेमन्त कुमार लोढा, सहायक अभियन्ता सर्वे एवं गुण नियंत्रण खण्ड चित्तौडगढ एवं श्री भैरू सिंह, कनिष्ठ सहायक कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड चित्तौडगढ को बाद फारिक उक्त ट्रेप कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने एवं जब कभी ब्यूरो को कार्यवाही की सूचना परिवादी से प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही हेतु तलब किया जावे तो उपस्थित होने हेतु हिदायत मुनासिब कर रूखसत किया गया। दिनांक 21.11.2025 को समय करीब 05.30 पी.एम. पर उपरोक्त कार्यवाही की पत्रावली मय दस्तावेजात के चौकी हाजा का चार्ज लेने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस हरिश्चन्द्र सिंह को प्राप्त हुई है। उपरोक्त कार्यवाही से सम्बन्धित मालखाना आईटम मालखाना ईचार्ज श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 132 से मालखाने से निकलवाकर चैक कर पुनः मालखाने में सुरक्षित रखने हेतु मालखाना ईचार्ज श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 132 को सम्भलाये गये। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 से अब तक की कार्यवाही के हालात प्राप्त किये है। दिनांक 26.12.2025 को समय करीब 12.05 पी.एम. पर परिवादी श्री मुकेश मीणा तलविदा कार्यालय उपस्थित आया है। परिवादी से उपरोक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में मजिद दरियाप्त की गई तो परिवादी ने दिनांक 09.07.2025 को जरिये दूरभाष मुख्यालय के टोल फ्री नम्बर 1064 पर शिकायत दर्ज कराने के उपरान्त श्री विक्रम सिंह तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ़ से ट्रेप कार्यवाही कराने हेतु जरिये दूरभाष ईतल्ला देना तथा दिनांक 17.09.2025 को ब्यूरो चौकी चित्तौडगढ़ पर की गई कार्यवाही की ताईद की तथा स्वयं द्वारा कार्यवाही कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना एवं रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराना इत्यादि सम्पूर्ण हालातों से अवगत कराया । परिवादी ने एक स्वयं का हस्तलिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसमें अंकित किया कि "पूर्व शिकायत के क्रम में मेरे द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत कर यह निवेदन है कि तहसील कार्यालय के बाबू विष्णु जी द्वारा मुझसे इन दिनों में रिश्वत के सम्बन्ध में बातचित नही की जा रही है। तहसीलदार जी का प्रतापगढ़ से स्थानान्तरण हो चुका है, बाबू जी द्वारा यदि मुझसे रिश्वत के लिए सम्पर्क करते है तो मै आपको सूचित कर दूंगा ।" समय करीब 01.30 पी.एम. पर परिवादी श्री मुकेश मीणा को रूखसत किया गया। मांग सत्यापन वार्ता सुनी एवं ट्रांसक्रिप्टों को पढ़ा गया तो पाया कि श्री विष्णु दत्त सालवी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार, प्रतापगढ़ द्वारा परिवादी श्री मुकेश मीणा से दिनांक 16.07.2025 को 1 लाख रूपये की रिश्वत की मांग कर 20 हजार रूपये नगद प्राप्त किये तथा शेष 80 हजार रूपये रिश्वत राशि बाद में लेने हेतु श्री विष्णु दत्त सालवी सहमत होकर रिश्वत राशि की स्पष्ट मांग करने की पुष्टि हुई। परिवादी श्री मुकेश मीणा व श्री उज्जवल जैन तहसीलदार के मध्य दिनांक 22.07.2025 व दिनांक 28.07.2025 को की गई वार्ताओं से स्पष्ट हुआ कि श्री उज्जवल जैन तहसीलदार द्वारा रिश्वत राशि की मांग के सम्बन्ध में सत्यापन वार्ता के दौरान दो बार 'अच्छा' कहा गया है। परिवादी ने कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि तहसीलदार जी का स्थानान्तरण हो चुका है एवं श्री विष्णु दत्त सालवी द्वारा अब तक रिश्वत लेने के सम्बन्ध में कोई बातचित नही की गई है। चुंकि मामला करीब साढे तीन माह से अधिक का समय गुजर चुका है परन्तु आरोपी श्री विष्णु दत्त सालवी द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने बाबत् कोई सम्पर्क नही किया गया है। अतः उक्त मामले में संभवतया आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने की संभावना नगण्य है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अब तक की गई कार्यवाही एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्यों से आरोपीगण श्री उज्जवल जैन, तहसीलदार, तहसील प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ एवं श्री विष्णु दत्त सालवी, हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी तहसील कार्यालय प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादी श्री मुकेश मीणा के मकान की बिलानाम भूमि को आबादी में परिवर्तन कराने के लिये आरोपी श्री विष्णु दत्त सालवी द्वारा तहसीलदार श्री उज्जवल जैन से कार्य करवाने के नाम पर दिनांक 16.07.2025 को 1 लाख रूपये की रिश्वत की स्पष्ट मांग करना एवं दौराने मांग सत्यापन 20 हजार रूपये परिवादी श्री मुकेश मीणा से नगद प्राप्त करना तथा शेष रिश्वत राशि 80 हजार रूपये बाद में लेने हेतु सहमत होना एवं श्री उज्जवल जैन, तहसीलदार की भी सहमति होना व उक्त मामले की पूरी जानकारी होना पाया जाने से आरोपीगण श्री उज्जवल जैन तत्कालीन तहसीलदार, तहसील प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ हाल तहसीलदार, भू-अभिलेख जिला डूंगरपुर एवं श्री विष्णु दत्त सालवी, हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी तहसील कार्यालय प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपीगण श्री उज्जवल जैन पुत्र श्री नगीन लाल जैन उम्र 38 वर्ष निवासी मुख्य डाक घर के पीछे गरीब नवाज लाज के पास जिला बांसवाडा तत्कालीन तहसीलदार, तहसील प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ हाल तहसीलदार, भू-अभिलेख जिला डूंगरपुर एवं श्री विष्णु दत्त सालवी पुत्र स्वर्गीय श्री माधवलाल सालवी उम्र 39 वर्ष निवासी रतनपुरा (कारोई) पोस्ट

कारोई तहसील व जिला भीलवाड़ा हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी तहसील कार्यालय प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रकरण दर्ज करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय पर प्रेषित है। (हरिश्चन्द्र सिंह) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हरिश्चन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो, चित्तौडगढ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में आरोपीगण 01. श्री उज्जवल जैन पुत्र श्री नगीन लाल जैन उम्र 38 वर्ष निवासी मुख्य डाक घर के पीछे गरीब नवाज लाज के पास जिला बांसवाडा तत्कालीन तहसीलदार, तहसील प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ हाल तहसीलदार, भू-अभिलेख जिला डूंगरपुर एवं 02. श्री विष्णु दत्त सालवी पुत्र स्वर्गीय श्री माधवलाल सालवी उम्र 39 वर्ष निवासी रतनपुरा (कारोई) पोस्ट कारोई तहसील व जिला भीलवाड़ा हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी तहसील कार्यालय प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राजीव जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.-उदयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 796 पर अंकित है। (अनिल कयाल) उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 541-45 दिनांक 24.03.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रतापगढ 2- निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर 3- जिला कलक्टर, प्रतापगढ 4- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ । उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAJEEV JOSHI **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Anil Kumar Kayal
Location: Rajasthan,IN
Date: 24/03/2026 12:07:51

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): ANIL KAYAL
Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1988				
2	Male	1987				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)